

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस  
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./46/2024

1. कैलाश चन्द्र आत्मज श्री श्रीकिशन जाति ब्राह्मण निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मण सिंह आत्मज श्री दुर्गा दास सिंह जाति राजपुत निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-22.05.2024

- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री राहुल आचार्य  
2. पैरोकार सरकार



संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा कुरथल पटवार क्षेत्र कुरथल भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 67 में दर्ज खसरा नं. 1841 रकबा 0.37 तथा खसरा नं. 1844 रकबा 0.08 कुल किता 02 कुल रकबा 0.45 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थी की कब्जे काशत भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम सिंगावल के खाता संख्या 67 संवत 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा कुरथल पटवार क्षेत्र कुरथल भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 67 में दर्ज खसरा नं. 1841 रकबा 0.37 तथा खसरा नं. 1844 रकबा 0.08 कुल किता 02 कुल रकबा 0.45 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 1000/- रु(एक हजार

15  
उपखण्ड आंधेकारी  
भिनाय (केकड़ी)

रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 22.05.204 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(गुरु प्रसाद तंवर)  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय, केकड़ी  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (केकड़ी)